स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्या–34, दिनांक 22–01–2025

जनपद प्रतापगढ़ से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त नदीम उर्फ सेबु जनपद कानपुर नगर से गिरफ्तार।

दिनांकः 21–01–2025 को एस0टीएफ0 उत्तर प्रदेश को थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 48/2024 धारा 328, 364, 392, 120बी, 413, 467, 468 भादवि में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी नदीम उर्फ सेबु को जनपद कानपुर नगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

नदीम उर्फ सेबु रईस निवासी दादुपुर पड़ान, थाना लीलापुर, प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

नरवल मोड के पास जिओ पेट्रोल पम्प की पार्किंग, थाना क्षेत्र महराजपुर, जनपद कानपुर नगर। दिनांक 21–01–2025 समय 23:40 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वांछित एवं पुरस्कार घोषित सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/फील्ड इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पुरस्कार घोषित फरार अपराधियो के सम्बन्ध में सूचना संकलन की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 श्री राहुल परमार के नेतृत्व में मु0आ0 अरविन्द सिंह, देवेश द्विवेदी, अशोक राजपूत, चन्द्र प्रकाश सिंह, आरक्षी सत्यम यादव चालक धर्मेन्द्र प्रताप की एक टीम भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना मिली कि थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 48/2024 में वांछित रू0 50,000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी नदीम उर्फ सेबु नरवल मोड के पास जिओ पेट्रोल पम्प थाना क्षेत्र महराजपुर, जनपद कानपुर नगर के पास किसी से मिलने वाला है। प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुॅचकर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त नदीम उर्फ सेबु ने पूछताछ पर बताया कि वह ट्रक ड्राइवरी का कार्य करता है। अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ढ़ाबा/रोड के किनारे खड़ी ट्रकों को लूट लेते है। जिसे बाद में कटवा देते है। दिसम्बर–2023 में अपने साथी गुफरान, महमूद, अकील के साथ मिलकर तिवारी ढ़ाबा पर बोलरो से पहुॅचे। वहॉ पर रोड के किनारे ट्रक खड़ा करके चालक सो रहा था। इस दौरान इनके द्वारा चालक को मारपीट कर अधमरा कर दिया और उसके पास से 22 हजार रूपये व ट्रक लूट लिया

गया था। उक्त ट्रक में सीमेन्ट की चादरें लोड थी, जिसे बहराइच में किसी दुकान पर बेच दिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः–

1– मु0अ0सं0 682/2022 धारा 379, 413 भादवि थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़।
2– मु0अ0सं0 1012/2022 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़।
3– मु0अ0सं0 301/2024 धारा 137 (2), 351(2), 61(2), 87 बीएनएस, कोतवाली देहात, प्रतापगढ़।
4– मु0अ0सं0 110/2024 धारा 395, 412 भादवि थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़।
5– मु0अ0सं0 48/2024 धारा 328, 364, 392, 120बी, 413, 467, 468 भादवि थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्त नदीम उर्फ सेबु को थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 48/2024 धारा 328, 364, 392, 120बी, 413, 467, 468 भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।